



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

Office Order No. 21 of 2025

Sub: Addition of Subject in the Subject list of E(SCT)-I branch under EDE(Res.) as item No. 12.

It has been decided to add the subject in the subject list of E(SCT) – I branch under EDE(Res.) as Item No. 12, which is as under:-

‘Policy related to granting facilities/recognition to the Associations of Persons with Disabilities regarding reservation in service’.

2. Accordingly, the subject list of E(SCT)-I branch has been revised and enclosed as **Annexure-I.**
3. The above issues with the approval of the competent authority.

(T. Srinivas)

**No. 2025/O&M/7/8
Dated: 07 .03.2025**

**Joint Secretary/Railway Board
Tele No. 011- 47845551
Email: t.srinivas1@gov.in**

All Officers and Branches in Board's Office, Office at COMFOW Building and Daya Basti, New Delhi.

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

DG/HR, AM/HR, AM/Staff, PED/IR, and EDE(Res.)

E (SCT) – I

1. Policy matters regarding reservation of posts for SCs/STs and OBCs on Indian Railways and other allied matters.
2. Court cases on policy matters.
3. Recommendations of the Parliamentary Committee for the welfare of SCs/STs on the Railways.
4. Matters relating to all India SCs/STs Railway Employees Association including Court Cases.
5. Crash Programme for wiping out the shortfalls of SCs/STs on Indian Railways.
6. Statistical returns such as half yearly/Annual etc. in respect of intake of SCs/STs and OBCs in Railway Services etc.
7. Material for GM's Conference, CPO's Conference, High Power Committee Meetings on SCs/STs.
8. Other facilities to SC/ST employees.
9. Matters relating to All India OBC Railway Employees Federation/Associations including Court Cases.
10. Matters relating to other caste-based unrecognized Railway Employees Associations.
11. Consideration of proposals from Railways/Production Units for dereservation of posts reserved for SCs/STs.
12. ***Policy related to granting facilities/recognition to the Associations of Persons with Disabilities regarding reservation in service (O.O. No. 21 of 2025).***

Matters relating to Minorities:

- a. Collection, collation & transmission of data regarding intake of minorities, representation of minorities in Selection Committees and total number of minority employees on the zonal railways.
- b. Implementation of directions regarding minorities from Ministry of Welfare and Social Justice.
- c. Representations received from Minorities except individuals.
- d. Compilation of information submitted through PCDOs to MS.
- e. Reservation for the economically weaker sections and collection of information thereof. **(OO No. 24 of 2019).**

- f. Reference to NCOBC(National Commission for Other Backward Classes)
on policy matters for OBC railway Employees.(**OO No. 01 of 2020**)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

2025 का कार्यालय आदेश सं. 21

विषय: कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण) के अधीन स्थापना (अजा एवं अजजा)-I
शाखा की विषय सूची में मद सं. 12 के रूप में विषय शामिल करना।


कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण) के अधीन स्थापना (अजा एवं अजजा)-I शाखा की विषय सूची में मद सं. 12 के रूप में विषय शामिल करने का विनिश्चय किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

‘सेवा में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन संघों को सुविधाएं/मान्यता देने संबंधी नीति।’

- तदनुसार, स्थापना (अजा एवं अजजा)-I शाखा की विषय सूची संशोधित कर दी गई है और अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2025/ओएंडएम/7/8

दिनांक: 07.03.2025


(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

दूरभाष: 011-47845551

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत रेल राज्य मंत्री (एस)
महानिदेशक/मानव संसाधन, अपर सदस्य मानव संसाधन, अपर सदस्य/कार्मिक, प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध और कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण)

स्थापना (अजा एवं अजजा)-1

1. भारतीय रेलों में अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी नीतिगत मामले और अन्य संबद्ध मामले।
2. नीतिगत मामलों पर न्यायिक मामले।
3. रेलों पर अजा/अजजा के कल्याण के लिए संसदीय समिति की सिफारिशें।
4. न्यायिक मामलों सहित अखिल भारतीय अजा/अजजा रेल कर्मचारी एसोसिएशन से संबंधित मामले।
5. भारतीय रेलों पर अजा/अजजा की कमी को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्यक्रम।
6. रेल सेवा आदि में अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती के संबंध में छमाही/वार्षिक आदि जैसे सांख्यिकी विवरणी।
7. अजा/अजजा संबंधी मुख्य कार्मिक अधिकारी सम्मेलन, महाप्रबंधक सम्मेलन, उच्च स्तरीय समिति की बैठकों के लिए सामग्री।
8. अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं।
9. न्यायिक मामलों सहित अखिल भारतीय अन्य पिछड़े वर्गों के रेल कर्मचारी फेडरेशन/एसोसिएशनों से संबंधित मामले।
10. जाति-आधारित अन्य गैर-मान्यताप्राप्त रेल कर्मचारी एसोसिएशनों से संबंधित मामले।
11. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के लिए रेलों/उत्पादन इकाइयों से प्रस्तावों की विवेचना।
12. सेवा में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन संघों को सुविधाएं/मान्यता देने संबंधी नीति।
(2025 का कार्यालय आदेश सं. 21)

अल्पसंख्यकों से संबंधित मामले

- (क) अल्पसंख्यकों की भर्ती, चयन समितियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय रेलों में अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों की कुल संख्या संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, मिलान और प्रेषण।
- (ख) कल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय से अल्पसंख्यकों संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।
- (ग) व्यक्तियों को छोड़कर अल्पसंख्यकों से प्राप्त अभ्यावेदन।
- (घ) पीसीडीओ के माध्यम से सदस्य कार्मिक को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का संकलन।
- (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और तत्संबंधी सूचना एकत्र करना।
(2019 का कार्यालय आदेश सं. 24)
- (च) अन्य पिछड़ा वर्ग रेल कर्मचारियों से संबंधित नीतिगत मामलों पर एनसीओबीसी (राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग) के संदर्भों का निपटान। (2020 का कार्यालय आदेश सं.01)